हाई कोर्ट की मानवीय पहल, कहा- सुधरे युवकों को न भेजें जेल

फैसला ● शादी के झगड़े में आई सजा पर लगाई गई रोक

सजा से राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाई कोर्ट ने 1997 के मारपीट व झगड़े के मामले में दोषी ठहराए गए तीन युवकों को राहत देते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि समय की लंबी अवधि, समाज में स्थिर जीवन व अपराध से दूर रहने की प्रवृत्ति को देख इन आरोपितों को जेल भेजना अनुचित व गैरजरूरी होगा।

ये है प्रोबेशन आफ आफेंडर्स एक्ट: ये कानून ऐसे मामलों में लागू होता है जहां सजा के बजाय सुधार का मौका दिया जाए। इसमें अदालत आरोपित को कुछ शर्तों के साथ रिहा करती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आरोपित 10,000 रुपये के बान्ड व निजी मुचलके के साथ एक साल तक अच्छा व्यवहार बनाए रखें और कोई अपराध न करें।

28 साल पूर्व हुई थी घटना अपराध से दूर रहने की प्रवृत्ति को देख सुनाया निर्णय

● फाइल फोटो

ये पूरा है मामला

कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी गांव में 12 मई 1997 को एक शादी समारोह में डीजे को लेकर विवाद हुआ। प्रकाश, बोधन, हीरालाल सहित अन्य लोगों ने लाठी, डंडे, राड और फरसा से हमला कर दिया। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हड्डी टूट गई। पुलिस ने आरोपितों पर दंगा, जानलेवा हमला और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने 2004 में दोषी मानते हुए एक, दो और चार साल की सजा सुनाई।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ में हुई सुनवाई में यह पाया गया कि, 28 साल से मामला लंबित है। आरोपित ट्रायल और अपील की कार्यवाही के दौरान बेल पर रहे और समाज में अच्छा व्यवहार बनाए रखा। किसी आरोपित का आपराधिक इतिहास नहीं है। अब ये लोग अपने जीवन में स्थिर और जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। घटना के दौरान सभी आरोपित युवक अवस्था में थे। कोर्ट ने कहा कि, इस तरह के मामलों में सुधार की संभावना और समाज में पुनर्स्थापन को भी देखा जाना चाहिए। ऐसे में, सजा को कम करना और प्रोबेशन का लाभ देना न्यायोचित होगा।

ला ग्रेज्युएट के लिए अवसर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मांगे आवेदन

- ट्रांसलेटर बनने का मौका, प्रति पेज 200 रुपये पारिश्रमिक
- फैसलों को अंग्रेजी से हिंदी में करना होगा अनुवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसर व हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के अलावा ला ग्रेज्युएट युवाओं के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर बनने का अच्छा मौका है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट व बिलासपुर हाई कोर्ट के ऐसे फैसले जो न्याय दृष्टांत बन जाते हैं, उन अंग्रेजी के फैसलों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटरों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस में कहा है कि, छत्तीसगढ़ राज्य के हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं, छत्तीसगढ़ राज्य के रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों और अन्य अनुवादकों (विधि स्नातक) से अंग्रेजी से हिंदी में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्ट करने योग्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का अनुवाद करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुवाद के लिए सौंपे गए निर्णय के प्रति पृष्ठ 200 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा (टाइपिंग और प्रिंट-आउट की लागत सहित)।

9 मई तक आनलाइन कर सकते हैं आवेदन

● फाइल फोटो

अनुवाद के लिए नियम एवं शर्तें

अनुवाद कार्य के लिए पैनल में विधिवत चयनित अभ्यर्थियों को अनुवाद कार्य के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अनुवाद कार्य के सत्यापन के बाद ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान केवल सूचीबद्ध उम्मीदवार के बैंक खाते में किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विशेष कार्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में, डाक के माध्यम से या ई-मेल के माध्यम से translation-hccg@cg.gov.in पर 9 मई 2025 तक निम्नलिखित संलग्नकों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरुरी

- सी.जी. राज्य बार काउंसिल नामांकन की प्रतिलिपि।
- सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में)
- अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
- आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।